अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत , परगना मजिस्ट्रेट, बीसलपुर , मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पीलीभीत, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 ,लो0नि0विभाग, पीलीभीत, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, पीलीभीत से प्राप्त अनापत्ति/संस्तुतियां के आधार पर सीनियर डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली को ग्राम चरखौला थाना व तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत स्थित गाटा संख्या 568 पर संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

शर्ते

1- प्रश्नगत निर्माणधीन पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी राजमार्ग के मध्य से 110 फिट रखना अनिवार्य होगा।

2- सम्पर्क मार्ग एंव गलियों से निर्माणधीन पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी मार्ग के मध्य से 10 मीटर रखना अनिवार्य होगा।

3- निर्माणधीन पेट्रोल पम्प के भवन की चौड़ाई रास्ते या सड़क की ओर स्थित हो तो निर्माणाधीन भवन के सम्पूर्ण भाग में कम से कम 4 फिट जगह छोड़नी अनिवार्य होगी।

4- निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प के भवन का निर्माण कराते समय निर्माणकर्ता का शौचगृह एवं स्वास्थ्य सेवाएं रखनी होगीं । शौचग्रह खुले नही होगें व साफ-सफाई की पूर्ण व्यवस्था के साथ सुरक्षा की दृष्टि से रेत के बोरे भी रखने आवश्यक होगें।

5- निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प के भवन की कुर्सी पास की गली व सड़क की तरफ से एक फिट ऊँची रखनी आवश्यक होगी ।

6- प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट पर अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन नम्बर 101, 255992, 9454418519 की पट्टिका लगायेगें।

7- प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट पर डीजल/पेट्रोल भण्डारण के समय आग या आग से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं करेगें।

8- प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट पर डीजल/पेट्रोल भण्डारण से पूर्व स्थल पर निर्माण के समय 10000 ली क्षमता के स्टेटिक टैंक का निर्माण करायेगें जो अग्निशमन कार्य हेतु हर समय पानी से भरा रहेगा।

9- प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट पर डीजल/पेट्रोल भण्डारण से पूर्व पानी की व्यवस्था हेतु एक जैट पम्प का निर्माण करायेगें।

10- प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट पर डीजल/पेट्रोल भण्डारण से पूर्व 08 अदद डी0सी0पी0 10 कि0ग्रा0 क्षमता के व विद्युत इंस्टालेशन के पास 02 अदद सी0ओ0टू0 4.5 कि0ग्रा0 के अग्निशमन कार्यालय से सत्यापित कराकर स्थापित करायेगें।

11- प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट पर डीजल/पेट्रोल भण्डारण से पूर्व 08 अदद फायर बकेटस बालू पानी भरी नियमानुसार स्टैण्ड पर स्थापित करायेगें ।

12- प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट पर डीजल/पेट्रोल भण्डारण से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के रख-रखाव एवं प्रयोग विधि के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करायेगें।

13- प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट पर डीजल/पेट्रोल भण्डारण से पूर्व मानचित्र में निर्गत निर्देशों के अनुसार एवं पेट्रोलियम रुल्स-2002 के नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अग्निशमन अधिकारी को अवगत करायेगें।

14- प्रस्तावित किसान सेवा केन्द्र (रिटेल आउटलेट) बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग किमी0 14.446 से 14.481 के मध्य बांयी पटरी पर स्थित गाटा संख्या 568 ग्राम चरखौला तहसील बीसलपुर में स्थापित किया जाना है। उक्त मार्ग की पटरियाँ संरक्षित वन के अन्तर्गत विज्ञापित है। इस संरक्षित वन क्षेत्र में कुल 1056.771 वर्ग मीटर भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित है जिसमें तीन वृक्ष प्रभावित होगें । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की स्वीकृत एवं भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार की शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा।

15- प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 33.53 मीटर की दूरी पर अस्थायी

पेज 2 पर

45

निर्माण हेतु एवं मार्ग मध्य बिन्दु से दोनों तरफ 220.00फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाये अन्यथा मानचित्र पर की गयी संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी । मुख्य अभियन्ता (मु0-2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग लो0नि0वि0 लखनऊ के समय-समय पर जारी निर्देशो के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

16- मानचित्र में अंकित मापों एवं विशिष्टियों के अनुरुप ही निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाये।

17- प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने-जाने के लिए पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण प्रस्तावक को अपने खर्चे पर करना होगा, जिसकी अनुमति अलग से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0, पीलीभीत से प्राप्त करनी होगी।

18- भूस्वामित्व में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

19- फिलिंग स्टेशन की स्थापना के फलस्वरुप जनसुरक्षा एवं यातायात को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए अन्यथा मानचित्र में की जा रही संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

20- प्रश्नगत मार्ग के स्टेटस में परिवर्तन के फलस्वरुप जनसुविधाओं की वृद्धि हेतु लोक निर्माण विभाग को यदि भूमि को अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी, उस स्थिति में आवेदक को पुन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

21- लो0नि0वि0 बाउण्ड्री एवं नाली के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए इस आशय की टिप्पणी मानचित्र पर भी अंकित कर दी गयी है।

22- मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों तरफ 220 फिट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न कराया जाये।

23- उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगा।

दिनांक. नवम्बर 23 2016

(मासूम अली सरवर)
जिला मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

पत्रांकः 634 /शस्त्र लिपिक-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत ।
2- परगना मजिस्ट्रेट, बीसलपुर ।
3- मुख्य अग्निशमन अधिकारी,बरेली
4- अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड-1, लो0नि0,विभाग, पीलीभीत ।
5- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, पीलीभीत ।
6- अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत, पीलीभीत।
7- सीनियर डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, 82 प्रेमनगर बरेली (उ0प्र0) को संलग्न मानचित्र सहित प्रेषित ।

Office of The District Magistrate PILIBHIT (U.P.)

(मासूम अली सरवर)
जिला मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।